

अनुक्रमणिका

- | | |
|------|--|
| अ.1 | सामान्य |
| अ.2 | विदेशी मुद्रा की बिक्री |
| अ.3 | चिकित्सा |
| अ.4 | सांस्कृतिक दौरे |
| अ.5 | निजी दौरे |
| अ.6 | व्यावसायिक दौरे |
| अ.7 | विदेशी मुद्रा अभ्यर्पण अवधि |
| अ.8 | व्यय न की गई विदेशी मुद्रा |
| अ.9 | दौरा व्यवस्था आदि के लिए प्रेषण |
| अ.10 | रुपए में भुगतान |
| अ.11 | अग्रिम प्रेषण - सेवाओं का आयात |
| अ.12 | गारंटी जारी करना-सेवा का आयात |
| अ.13 | 200,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत प्रेषण योजना |
| अ.14 | प्रलेखीकरण |
| अ.15 | पासपोर्ट पर पृष्ठांकन |
| अ.16 | अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड |
| अ.17 | अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड |
| अ.18 | स्टोर वैल्यू/ चार्ज वैल्यू कार्ड्स/ स्मार्ट कार्ड्स आदि |
| अ.19 | कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण |
| अ.20 | आयकर समाशोधन |

संलग्नक 1

संलग्नक 2

संलग्नक 3

संलग्नक 4

संलग्नक 5

संलग्नक 6

संलग्नक 7

संलग्नक 8

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट 2

नोट

प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना

अ.1 सामान्य	<p>1.1 विभिन्न चालू खाता लेनदेनों के लिए भारत में निवासी किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा जारी करने के संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों को, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 5 (परिशिष्ट 2 की मद 1 में दर्शाए अनुसार) के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना है, जो भारत सरकार की मई 3, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.381(E) (नियमावली) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 (संलग्नक-I) में दिए गए हैं। उपर्युक्त नियमों के अनुसार अनुसूची I में सूचीबद्ध लेनदेनों की कतिपय श्रेणियों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। नियम की अनुसूची II में शामिल लेनदेनों की विनिमय सुविधा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमत की जाए बशर्ते आवेदक ने उसमें दिए गए अनुसार लेनदेनों के लिए पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है। अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के संबंध में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक प्रेषण के लिए रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुसूची III में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक मूल्यों तक विदेशी मुद्रा जारी करने के अधिकार प्राधिकृत व्यापारियों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। नियमों की अनुसूची III में निर्धारित किए गए अनुसार विदेशी मुद्रा जारी करने के सभी आवेदन रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक कार्य करता है/ रहता है को, भेजे जाएं।</p> <p>1.2 "आहरण" में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, आदि का उपयोग शामिल है। "मुद्रा" में, अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड शामिल है। तदनुसार, अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम तथा जारी किए गए निर्देश अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों, एटीएम कार्डों, अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डों के उपयोग पर लागू हैं।</p> <p>1.3 पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुविधा और सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि विविध गैर व्यापारिक चालू खाता लेनदेन करने के लिए कतिपय संस्थाओं को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के रूप में लाइसेंस दिया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी</p>
--------------------	---

	<p>श्रेणी II निम्नलिखित गैर व्यापारिक चालू खाता लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने/ प्रेषण के लिए प्राधिकृत हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) निजी दौरे (ख) दूर ऑपरेटरों/ विदेशी एजेंटों को ट्रैवल एजेंट/ प्रिंसिपल/ होटेल द्वारा प्रेषण। (ग) व्यावसायिक दौरे (घ) वैश्वक सम्मेलनों और विशेषीकृत प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए फीस (ड) अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स/ प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए (प्रशिक्षण, स्पांसरशिप और पुरस्कार राशि) प्रेषण (च) फिल्मों की शूटिंग (छ) विदेशों में चिकित्सा कराना (ज) कर्मचारियों की मजदूरी का संवितरण (झ) विदेश में शिक्षा (ज्र) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गठजोड़ के तहत प्रेषण (ट) भारत और विदेशों में आयोजित परीक्षाओं और जीआरई, टीओईएफएल, आदि के एडिशनल स्कोर शीट की फीस के लिए प्रेषण (ठ) रोजगार और विदेशों में नौकरी के आवेदन की प्रोसेसिंग और एसेसमेंट फीस (ड) उत्प्रवास और उत्प्रवास परामर्श फीस (ढ) उत्प्रवास का इरादा के लिए कौशल/ परिचय पत्र एसेसमेंट की फीस (ण) वीज्ञा फीस (त) पुर्तगीज़/ अन्य सरकारों द्वारा यथापेक्षित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रोसेसिंग फीस/अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पंजीकरण/ अभिदान/ सदस्यता फीस <p>1.4 नेपाल और भूटान की यात्रा और उनके निवासियों के साथ लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना अनुमत नहीं है(नियमावली 3 का खंड (ख) देखें)। [परिशिष्ट(2) के मद 2 में दर्शाए गए अनुसार]</p>
अ.2 विदेशी मुद्रा की बिक्री	2.1 जहां रिजर्व बैंक / भारत सरकार ने अनुमोदन दिया है वहां अनुमोदन पर उल्लिखित वैधता अवधि के अंतर्गत ही विदेशी मुद्रा बेची जानी चाहिए और बिक्री के ब्योरों का पृष्ठांकन मूल अनुमोदन पर किया जाना चाहिए।

2.2 वित्तीय वर्ष के दौरान यात्री द्वारा ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में उसके द्वारा की गई घोषणा के आधार पर **यात्रा प्रयोजनों** के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

2.3 यात्री चेक जारी किए जाने के मामले में यात्री प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चेक पर हस्ताक्षर करें और यात्री चेक की प्राप्ति के लिए क्रेता की प्राप्ति सूचना रिकार्ड में रखी जाए।

2.4 यात्री को बेची जा रही समग्र विदेशी मुद्रा में से विदेशी करेंसी नोट और सिक्के के रूप में निम्नलिखित सीमा के अनुसार विदेशी मुद्रा बेची जाए।

i)	इराक, लिबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान, रशियन फेडरेशन और स्वतंत्र देशों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणराज्यों से इतर देशों में जानेवाले यात्री	अधिकतम 2,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य
ii)	इराक अथवा लिबिया जानेवाले यात्री	अधिकतम 5000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य
iii)	इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान, रशियन फेडरेशन और स्वतंत्र राज्यों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणराज्य की यात्रा पर जानेवाले यात्री	पूर्ण विदेशी मुद्रा जारी की जाए

2.5 विदेशी मुद्रा की बिक्री से संबंधित फार्म अ-2 प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ उनके आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापन के लिए एक साल तक रखा जाए। 5,000 अमरीकी डॉलर से कम मूल्य के विविध गैर व्यापारिक चालू खाता लेनदेनों के प्रेषण आवेदनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी **संलग्नक-2** में संलग्न किए गए फार्म के **सरलीकृत आवेदन-व-घोषणा पत्र** (फार्म अ 2) के रूप में उपयोग करें।

2.6 जहां स्वयं के घोषणा पर प्रेषण की अनुमति है, आवेदन में सही व्योरे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आवेदक पर रहेगी जिसने ऐसे प्रेषणों

	के प्रयोजनों के संबंध में व्योरों को अभिप्राणित किया है।
अ.3 चिकित्सा	<p>3.1 निवासियों को विदेश में चिकित्सा के लिए बगैर किसी बाधा अथवा समय की बरबादी के विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल/ डॉक्टर द्वारा दिए गए अनुमान प्रस्तुत करने का आग्रह किए बिना उसकी स्वयं की घोषणा के आधार पर कि वह भारत के बाहर चिकित्सा के लिए विदेशी मुद्रा खरीद रहा है प्राधिकृत व्यापारी 100,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।</p> <p>3.2 उक्त सीमा से अधिक राशि के लिए भारत के या विदेशी डॉक्टर/ अस्पताल से प्राप्त अनुमान प्राधिकृत व्यापारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।</p> <p>3.3 विदेश यात्रा में जाने के बाद बीमार पड़ गए व्यक्ति को भारत से बाहर चिकित्सा के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है।</p>
अ.4 सांस्कृतिक दौरे	नृत्य मंडली, कलाकार आदि, जो सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए विदेश का दौरा करना चाहते हैं, वे अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए भारत सरकार मानव संसाधन विकास (शिक्षा और संस्कृति विभाग) मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर और उसके अंतर्गत उल्लिखित शर्तों के अधीन उस सीमा तक विदेशी मुद्रा दे सकते हैं।
अ.5 निजी यात्राएं	किसी व्यक्ति को निजी दौरे के लिए नियमावली की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सीमा तक विदेशी मुद्रा जारी किया जा सकता है जो किसी भी प्रयोजन के लिए भारत से बाहर की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा ले रहा है।
अ.6 व्यावसायिक दौरे	कारोबार करने अथवा सम्मेलन में सहभागिता अथवा विशेष प्रशिक्षण अथवा इलाज/ जांच के लिए विदेश जानेवाले मरीज के निर्वाह व्यय अथवा इलाज / जांच के लिए विदेश जानेवाले मरीज के साथ सहायक के रूप में जाने के लिए विदेशी मुद्रा नियमावली की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सीमा तक।
अ.7 विदेशी मुद्रा सौंपने की अवधि	7.1 किसी विशेष प्रयोजन के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका उपयोग किसी अन्य पात्र प्रयोजन के लिए, जिसके लिए संबंधित विनियम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का आहरण अनुमत है, किया जा सकता है।

	<p>7.2 किसी भी निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति / वसूली / खरीद / अधिग्रहण / यात्रा से लौटने की तारीख से 180 दिनों के अंदर प्राप्त / वसूली गई / खर्च न की गई / उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा को जैसा भी मामला हो, किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने की सामान्य अनुमति है।</p> <p>7.3 180 दिनों की उदारीकृत समान समय सीमा केवल निवासी व्यक्तियों पर लागू है और वह भी माल और सेवाओं के निर्यात से इतर क्षेत्रों में।</p> <p>7.4 अन्य सभी मामलों में, विदेशी मुद्रा सौंपने के सभी विनिमय / निदेश अपरिवर्तित रहेंगे (समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 9/2000-आर बी)।</p>
अ. 8 व्यय न की गई विदेशी मुद्रा	<p>8.1 उपर बताये गये अनुसार यदि यात्री द्वारा विदेशी मुद्रा करेंसी नोटों के रूप में बचाकर भारत में लाई गई है तो उस खर्च न की गई विदेशी मुद्रा को यात्री की वापसी की तारीख से 180 दिन के भीतर किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपना होगा। इस प्रकार लाई गई विदेशी मुद्रा को यात्री उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अपनी बाद की विदेश यात्रा के लिए उपयोग कर सकता है।</p> <p>8.2 फिर भी, वापस आनेवाला यात्री अपने पास कुल 2000 अमरीकी डॉलर की राशि तक के यात्री चेक और विदेशी करेंसी तथा असीमित विदेशी सिक्के अपने पास रख सकता है (स्पष्टीकरण:3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.11/2000-आरबी)। यात्री इस प्रकार अपने पास रखी गई विदेशी मुद्रा का उपयोग अपनी बाद की विदेशी यात्रा में कर सकता है।</p> <p>8.3 भारत में निवासी व्यक्ति, विदेश में दी गई सेवा के लिए प्राप्त भुगतान, मानदेय, उपहार, दी गई सेवाओं अथवा भारत में निवास न करनेवाले किसी व्यक्ति से किसी कानूनी देयता के भुगतान आदि किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंसी नोट, बैंक नोट अथवा यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा से भारत के प्राधिकृत व्यापारी के पास निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता खोल, रख या बनाए रख सकता है।</p> <p>8.4 निवासी व्यक्ति माल और/ अथवा सेवाओं के निर्यात, रॉयल्टी, मानदेय आदि, और/ अथवा नजदीकी रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार) से प्राप्त उपहार आदि से अर्जित और</p>

	<p>निवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य बैंकिंग के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित विदेशी मुद्रा से भी खाता खोल सकता है।</p> <p>8.5 करेंसी नोट, बैंक नोट और यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा में से निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में जमा करने के लिए पात्र राशियां निम्नानुसार हैं :-</p> <p>(i) विदेश यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से अधिगृहीत और उस में से खर्च न की गई रकम</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ii) भारत से बाहर किसी भी स्थान की यात्रा के दौरान सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त भुगतान हो परंतु जो भारत में किए गए किसी कारोबार अथवा किसी कार्य के लिए भुगतान न हो और मानदेय अथवा उपहार के रूप में।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(iii) भारत में निवास न करनेवाले किसी व्यक्ति से उसकी भारत की यात्रा के दौरान उसके द्वारा मानदेय अथवा उपहार अथवा दी गई सेवा अथवा किसी कानूनी देयता के भुगतान स्वरूप प्राप्त;</p> <p>टिप्पणी:- यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के बाद खर्च न की गई/ उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा सौंपने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पास आता है तो प्राधिकृत व्यक्ति केवल इस आधार पर विदेशी मुद्रा की खरीद से मना नहीं करेगा कि निर्धारित अवधि बीत गई है।</p>
अ.9 दौरा व्यवस्था आदि के लिए प्रेषण	<p>9.1 प्राधिकृत व्यापारी, यात्री के अनुरोध पर उसके द्वारा यात्रा के लिए प्रस्तावित देशों में होटल, दौरा व्यवस्था आदि के लिए उचित सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रेषित कर सकते हैं, बशर्ते कि वह रकम प्रचलित नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसार यात्री द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति से खरीदी गई विदेशी मुद्रा (विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से हो।</p> <p>9.2 प्राधिकृत व्यापारी भारत में कार्यरत ऐसे एजेंटों के अनुरोध पर, जिनका विदेश में होटल/ एजेंटों आदि के साथ गठबंधन है, भारत के यात्रियों के लिए होटेल आवास अथवा दौरे की अन्य व्यवस्था के लिए उन्हें प्रेषण भेज सकता है बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी इस बात से आश्वस्त है कि विदेशी मुद्रा का प्रेषण, संबंधित यात्री द्वारा किसी</p>

प्राधिकृत व्यक्ति से प्रचलित नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसार खरीदी गई विदेशी मुद्रा(विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से किया जा रहा है।

9.3 प्राधिकृत व्यापारी भारत में उस एजेंट के नाम में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं जिसका भारत से आनेवाले यात्रियों को होटल आवास देने अथवा दौरे की अन्य व्यवस्था करने के लिए विदेश के होटलों/ एजेंटों आदि के साथ गठबंधन है बशर्ते:

- क) खाते में रकम निम्नलिखित रूप में जमा की जाती है -
i) यात्री से विदेशी मुद्रा में संग्रह की गई रकम , और
ii) बुकिंग /दौरे की व्यवस्था आदि रद्द करने के कारण भारत से बाहर से लौटाई गई रकम ।

ख) विदेशी मुद्रा में नामे रकम भारत से बाहर उक्त 9.2 के अनुसार होटल, दौरा व्यवस्था के लिए किए गए भुगतान के लिए है।

9.4 प्राधिकृत व्यापारी यात्रा आयोजकों को भारत से बाहर रेल/सड़क/जल परिवहन प्रभारों की प्रेषण के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमति के बिना, एजेंट को देय कमीशन का निवल/ कीमत-लागत का अंतर भेज सकते हैं। भारत में पास / टिकटों की बिक्री भारतीय रूपयों अथवा विदेश यात्रा के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा में भुगतान पर की जा सकती है । भारतीय रूपयों में वसूली गई पास/ टिकटों की लागत को यात्री के निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की पात्रता में समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है ।

9.5 किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से अग्रिम भुगतान /प्रतिपूर्ति पर भारत और नेपाल, बांगला देश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए विदेशी यात्रियों हेतु यात्रा एजेंटों द्वारा ऐसी समेकित यात्रा व्यवस्था के लिए भारत में प्राप्त विदेशी मुद्रा के अंश को भारत द्वारा इन पड़ोसी देशों में यात्रा एजेंटों और होटल मालिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन देशों को भेजने की आवश्यकता है। प्राधिकृत व्यापारी इस बात का सत्यापन करने के पश्चात कि पड़ोसी देशों में भेजी जानेवाली राशि (यात्रा के लिए यदि पहले कोई राशि भेजी गयी हो तो उसे शामिल कर के) भारत को वास्तविक रूप से भेजी गयी राशि से अधिक नहीं है और हिताधिकारी के निवास का देश पाकिस्तान नहीं है, प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

अ.10 रुपये में भुगतान	<p>प्राधिकृत व्यापारी विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए) हेतु विदेशी मुद्रा की बिक्री पर 50 हजार रुपये(पचास हजार रुपये मात्र) तक नकद रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। यदि विदेशी मुद्रा की बिक्री की रकम 50 हजार रुपये के समतुल्य रकम से अधिक हो जाती है तो भुगतान केवल</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक , अथवा (ii) आवेदक के दौरे को प्रायोजित करने वाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक अथवा (iii) बैंकर चेक / पे ऑर्डर / डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा ही प्राप्त किया जाए। <p>टिप्पणी :- जहां पर किसी एकल यात्रा/भ्रमण के लिए किसी एकल आहरण अथवा एक से अधिक बार किए गए आहरणों को मिलाकर कुल आहरित विदेशी मुद्रा की रकम 50 हजार रुपये से अधिक हो तो उसका भुगतान चेक अथवा ड्रॉफ्ट, द्वारा किया जाए।</p>
अ.11 अग्रिम प्रेषण - सेवाओं का आयात	<p>प्राधिकृत व्यापारी किसी चालू खाता लेन देन के लिए, जिसके लिए विदेशी मुद्रा स्वीकार्य है अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। फिर भी जहां पर रकम 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य रकम से ज्यादा हो तो, भारत से बाहर स्थित किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक से गारंटी अथवा यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की प्रतिगारंटी पर जारी की जाती हो, तो भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से गारंटी, समुद्रपारीय हिताधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्रिम प्रेषण के हिताधिकारी ने भारत के प्रेषक के साथ किए गए संविदा अथवा करार के दायित्वों को पूरा किया है, अनुवर्ती कार्रवाई करे।</p>
अ.12 गारंटी जारी करना - सेवाओं का आयात	<p>प्राधिकृत व्यापारी सेवा आयात करनेवाले अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी कर सकते हैं, बशर्ते:</p> <ul style="list-style-type: none"> क. गारंटी राशि 100,000 अमरीकी डालर से अधिक न हो; ख. वह लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हो। ग. वह सेवाओं के आयात के लिए दस्तावेजी सबूत के सामान्य अवधि में प्रस्तुति को सुनिश्चित करता हो; और घ. गारंटी निवासी और अनिवासी के बीच संविदा से होनेवाली प्रत्यक्ष संविदागत देयता की सुरक्षा के लिए है।

	<p>गारंटी मांगने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को भेजना है जिसके कारण गारंटी मांगने की आवश्यकता पड़ी।</p>
अ.13 निवासी व्यक्तियों के लिए 2,00,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत प्रेषण योजना	<p>13.1 इस योजना के अधीन प्राधिकृत व्यापारी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेन अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी व्यक्ति द्वारा 2,00,000 अमरीकी डॉलर के प्रेषण की मुक्त रूप अनुमति दे सकते हैं।</p> <p>13.2 योजना के तहत 100,000 अमरीकी डालर की सीमा में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार और दान के लिए प्रेषण को भी शामिल किया जाएगा।</p> <p>13.3 योजना के तहत केवल अनुमत चालू अथवा पूंजी लेखा लेनदेनों अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रेषण की अनुमति दी जाती है। अन्य सभी लेनदेन, जो फेमा के तहत अन्यथा अनुमत नहीं हैं और वे जो समुद्रपारीय मंडियों/ समुद्रपारीय प्रतिपक्ष को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए प्रेषण स्वरूप में हैं, को योजना के तहत अनुमति नहीं है।</p> <p>13.4 निवासी व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता है कि वे रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत से बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर (सूचीबद्ध कंपनी अथवा अन्यथा) अथवा ऋण लिखत अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं और रख सकते हैं।</p> <p>13.5 व्यक्ति रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर योजना के अधीन प्रेषण के लिए भारत से बाहर स्थित बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रेषणों से होनेवाले अथवा उससे संबंधित सभी लेनदेनों को रखने के लिए विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग किया जा सकता है।</p> <p>13.6 बैंक इस योजना के तहत प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधाएं उपलब्ध न कराएं।</p> <p>13.7 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) द्वारा असहयोगी देशों के रूप में पहचाने गए देशों और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की वेबसाइट www.fatf-gafi.org पर यथाउपलब्ध और रिजर्व बैंक द्वारा</p>

	<p>यथाअधिसूचित देशों और राज्य क्षेत्रों को प्रेषण के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना उपलब्ध नहीं है।</p> <p>13.8 निवासी व्यक्ति योजना के तहत लेनदेन करने के लिए संलग्नक-3 में दिए गए आवेदन व घोषणा फार्म का उपयोग करें।</p> <p>13.9 अप्रैल 2008 से, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे संलग्नक-8 में मासिक आधार पर सूचना, संबंधित माह के अगले माह को पांच तारीख अथवा उससे पहले प्रधारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग(एफआइडी-ईपीडी) भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400001 को प्रस्तुत करें। विवरण की एक सापट प्रति (एक्सेल फार्मेट में) fedfid@rbi.org.in को ई-मेल द्वारा भी भेजी जाए।</p>
अ.14 प्रलेखीकरण	<p>14.1 सामान्यतः रिजर्व बैंक प्रलेखों का निर्धारण नहीं करेगा जिसे विदेशी मुद्रा जारी करने के समय प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित किया जाना है। इस संबंध में, प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान फेमा 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5)(परिशिष्ट 2 की मद 3 में दर्शाये अनुसार)की ओर आकर्षित किया जाता है जो यह प्रावधान करता है कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा होगी कि विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने का इच्छुक व्यक्ति एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करे और ऐसी सूचना दे जो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट कर सके कि लेनदेन किसी अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत जारी किसी नियम, अधिनियम, अधिसूचना निदेश अथवा आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन अथवा उससे बचने के प्रयोजन से नहीं किया गया है।</p> <p>14.2 प्राधिकृत व्यापारियों से यह भी अपेक्षा है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए ऐसी सूचना/ प्रलेखीकरण का रेकार्ड रखें जिसके आधार पर लेनदेन किया गया है। यदि आवेदक ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने से मना करता है अथवा उसका असंतोषजनक अनुपालन करता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे लेनदेन करने से लिखित रूप में मना कर सकता है तथा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति का उल्लंघन/ अपवंचन का इरादा है तो उसकी सूचना रिजर्व बैंक को दे।</p>

	<p>14.3 इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी को विशेष रूप से यह सूचित किया गया है कि वे किसी समर्थक दस्तावेज़ की मांग न करते हुए किन्तु लेनदेनों के कतिपय मूल ब्योरों को शामिल करते हुए स्वघोषणा और फार्म ए 2 के प्रस्तुतीकरण के आधार पर विदेश में रोज़गार, इमिग्रेशन, विदेश में रहनेवाले नज़दीकी संबंधियों के जीवन निर्वाह, विदेश में शिक्षा अथवा चिकित्सा के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर तक विदेशी मुद्रा जारी करें। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) की एक से अधिक निजी यात्रा के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी करने की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी।</p>
अ.15 पासपोर्ट पर पृष्ठांकन	प्राधिकृत व्यापारी के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह विदेश यात्रा के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा की रकम व्यक्ति के पासपोर्ट में पृष्ठांकित करें। परंतु यात्री के अनुरोध पर वे अपनी मोहर, तारीख हस्ताक्षर के साथ और यात्री को बेची गई विदेशी मुद्रा को दर्ज करें।
अ.16 अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड	<p>16.1 विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 5 में दिए गए प्रतिबंध निवासियों द्वारा भारत से बाहर दौरे पर रहते समय खर्चों के भुगतान के लिए उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगी।</p> <p>16.2 निवासी इंटरनेट पर किसी भी प्रयोजन, जिसके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है यथा पुस्तकों के आयात, डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर की खरीद अथवा एक्ज़िम नीति के अधीन अनुमति के योग्य किसी अन्य मदों के आयात लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।</p> <p>16.3 अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं जैसी निषिद्ध वस्तुओं की खरीद, घुड़दौड़ जुए में सहभागिता, कॉल बैंक सर्विस हेतु भुगतान आदि के लिए इंटरनेट पर अथवा अन्यथा नहीं किया जा सकता है चूंकि ऐसी मदों/ कार्यकलापों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण की अनुमति नहीं है।</p> <p>16.4 इंटरनेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए अलग से कोई सकल मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।</p>

	<p>16.5 वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अंतर्गत यथाअनुमत भारत में अथवा विदेश स्थित बैंक में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता रखनेवाले निवासी व्यक्ति विदेशी बैंकों और अन्य ख्यातिप्राप्त एजेंसियों द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (आइसीसी) प्राप्त कर सकते हैं। भारत या विदेश में क्रेडिट कार्ड पर हुए खर्चे कार्ड धारक के ऐसे विदेशी मुद्रा खाता/ खाते में रखी गई निधियों अथवा प्रेषणों, यदि कोई हो, के माध्यम से भारत से केवल उसी बैंक के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं जहां कार्ड धारक का चालू अथवा बचत खाता है। इस प्रयोजन के लिए प्रेषण कार्ड जारी करनेवाली एजेंसी को सीधे किया जाए और किसी तीसरी पार्टी को <u>नहीं</u>।</p> <p>16.6 लागू ऋण सीमा कार्ड जारी करनेवाले बैंक द्वारा निर्धारित सीमा होगी। इस सुविधा के अंतर्गत प्रेषणों के लिए ,यदि कोई हो , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी प्रकार की मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।</p>
अ.17 अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड	<p>17.1 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं जिसका उपयोग निवासी अपने विदेश दौरे में विदेश में नकदी आहरण अथवा व्यापारी प्रतिष्ठान में भुगतान के लिए कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग केवल अनुमत चालू खाता लेनदेन के लिए किया जा सकता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों की अनुसूची में उल्लिखित मदवार सीमाएं इन कार्डों के उपयोग के माध्यम से किए गए भुगतानों पर समान रूप से लागू हैं।</p> <p>17.2 अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं जैसे निषिद्ध वस्तुओं की खरीद घुड़दौड़ जुए में सहभागिता, कॉलबैक सर्विसेज हेतु भुगतान आदि अर्थात् ऐसी मदें/ क्रियाकलाप, जिसके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है के लिए इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता है।</p> <p>17.3 एक कैलेंडर वर्ष में , अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड धारक द्वारा 100,000 अमरीकी डालर से अधिक के समग्र उपयोग के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/विदेशी मुद्रा विभाग प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार एक विवरण (संलग्नक-5 के प्रोफार्मा के अनुसार) प्रस्तुत करें। विवरण अनुवर्ती वर्ष के जनवरी</p>

	20 को अथवा उससे पहले मुख्य महाप्रबंधक,विदेशी मुद्रा विभाग,बाह्य भुगतान प्रभाग ,केंद्रीय कार्यालय,मुंबई -400001 को पहुंच जाना चाहिए।
अ.18 स्टोर वैल्यू कार्ड्स/ चार्ज कार्ड्स/ स्मार्ट कार्ड्स आदि	निजी/ व्यापारिक दौरे पर विदेश की यात्रा करनेवाले निवासियों को कतिपय प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्टोर वैल्यू कार्ड्स/ चार्ज कार्ड्स/ स्मार्ट कार्ड्स भी जारी करते हैं जिसका उपयोग समुद्रपारीय व्यापार प्रतिष्ठानों में भुगतान साथ ही एटीएम से नकदी आहरण के लिए किया जाता है। ऐसे कार्ड्स जारी करने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, ऐसे कार्ड्स का उपयोग अनुमत चालू खाता लेनदेनों तक सीमित है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के तहत निर्धारित सीमा के अधीन है।
अ.19 कर्मचारी टॉक विकल्प योजना (ईसीओपी) के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण	किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा जिसमें विदेशी धारिता 51% से कम नहीं है, के किसी कर्मचारी अथवा निदेशक को उपर्युक्त योजना के अधीन बगैर किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी प्रतिभूति के अधिग्रहण की अनुमति है। वे शेयरों की बिक्री के लिए भी स्वतंत्र हैं बशर्ते उसकी प्राप्तियों को भारत को प्रत्यावर्तित किया जाता है।
अ.20 आयकर समाशोधन	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अक्तूबर 9, 2002 के उनके परिपत्र सं.10/2002 में निर्धारित फार्मेटों (संलग्नक 4) में प्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को प्रेषण की अनुमति देगा (नवंबर 26, 2002 का हमारा ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56 देखें)।

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000

अधिसूचना जीएसआर 381 (E) दिनांक 3 मई 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित)*:-
केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1)
और उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिजर्व
बैंक से परामर्श से लोक हित में इसे आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है,
अर्थात्;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम,
2000 कहा जाएगा।
(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42 है);
- (ख) "आहरण" का अभिप्राय किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण है और जिसमें साख पत्र खोलना या अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा देयता उत्पन्न होता है, शामिल है;
- (ग) "अनुसूची" का अभिप्राय इन नियमों से संलग्न अनुसूची है;
- (घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध :- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है, अर्थात्

- क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या
- ख) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; या
- ग) नेपाल या भूटान में निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह विशेष या साधारण आदेश द्वारा अनुबद्ध करना आवश्यक समझे, खंड (ग) के निषेध में छूट दे।

- 4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन** :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में शामिल किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा; बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है।
 - 5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन** :- कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में शामिल किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा; बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है;
 - 6.** (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।
(2)उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी (ईईएफसी) खाते से आहरण को अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है।
- 7. भारत के बाहर रहते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग**
भारत से यात्रा पर रहते हुए किए गए व्यय के लिए व्यक्ति द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 की कोई बात लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1
लेन देन, जिनकी मनाही है
(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण ।
2. बुड़दौड़ / बुड़सवारी आदि या किसी अन्य /शौक से हुई आय का प्रेषण ।
3. लाटरी टिकट, प्रतिबंधित/ गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं की खरीद, फुटबाल पूल, बुड़ दौड़ में दांव लगाने आदि के लिए प्रेषण ।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में इकिवटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश प्रेषण जिस पर लाभांश समतुलन की अपेक्षा लागू है।
6. चाय और तंबाकू के निर्यातों के बीजक मूल्य के 10% कमीशन को छोड़कर रूपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।
7. दूरभाष के "काल बैंक सर्विसेज" से संबंधित भुगतान ।
8. अनिवासी विशेष रूपए खाते में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण ।

अनुसूची - II
लेनदेन, जिन्हें केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है
(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है ।
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े का प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा संकंथ)

4. सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सीआईएफ के आधार पर (अर्थात् एफओबी और एफएस पर आधारित को छोड़कर) आयात का भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा संकंध)
5. अपने विदेश स्थित एजेंटों को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. टीवी चैनल और इंटरनेट सेवा देने वालों द्वारा ट्रासंपॉडर के किराए का प्रेषण	सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय
7. कंटेनर रोक रखने के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रभार से अधिक दर का प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. ऐसे तकनीकी सहयोग करारों के अधीन प्रेषण, जहाँ स्वामित्व का भुगतान स्थानीय विक्रय पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत से अधिक है और एक मुश्त राशि का भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है।	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय
9. अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल निकायों से इतर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के पुरस्कार धन/स्पॉन्सरशिप के लिए प्रेषण यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग)
10. हटा दिया गया	
11. पी एण्ड आइ क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III

(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक बार निजी यात्रा के लिए एक कलैंडर वर्ष में 10,000 अमरीकी डॉलर उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।
3. @ प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक / दाता, 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का उपहार प्रेषण ।
4. # प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का दान।
5. रोजगार के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों के लिए 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
6. 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या देश में उत्प्रवास के लिए निर्धारित रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
7. विदेश में रह रहे नजदीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए प्रेषण :
 - (i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसके निवल वेतन से अधिक (कर कटौती, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और
 - (क) जो पाकिस्तान से भिन्न किसी विदेशी राज्य का नागरिक है,
 - (ख) भारत का नागरिक है, जो ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है।
 - (ii) अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता प्रति वर्ष 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति के कारण (अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति जिसकी निवास की अवधि तीन वर्ष से अधिक है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।

8. कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में भाग लेने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सा के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने या विदेश में स्वास्थ की जाँच कराने या चिकित्सा/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान दिए बाहर 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।
9. विदेश में चिकित्सा के खर्चों को पूरा करने के लिए मुद्रा जारी करना जो भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक है।
10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति शैक्षणिक वर्ष जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में आवासीय फ्लैटों/वाणिज्यिक प्लाटों के विक्रय के लिए 25,000 अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक प्रेषण प्रति लेनदेन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश में एजेंट को कमीशन।
12. हटा दिया गया
13. हटा दिया गया
14. हटा दिया गया
15. S परामर्शी सेवाओं के लिए भारत के बाहर से प्राप्त की गई प्रति परियोजना 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक का प्रेषण।
16. हटा दिया गया।
17. ** पूर्व निगमन व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा भारत में किसी कंपनी द्वारा 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक विप्रेषण।
18. हटा दिया गया

(संशोधन)

(अधिसूचना जी.एस.आर. 663(E) दिनांक अगस्त 17, 2000, एस.ओ.301(E) दिनांक मार्च 30, 2001, .831(E) दिनांक दिसंबर 20, 2002, जी.एस.आर.33(E) दिनांक जनवरी 16, 2003, जी.एस.आर. 397(E) दिनांक मई 14, 2003, जी.एस.आर.731(E) दिनांक सितंबर 11, 2003, जी.एस.आर.849(E) दिनांक अक्टूबर 29, 2003 जी.एस.आर.608(E) दिनांक सितंबर 13, 2004,जी.एस.आर.512(E) दिनांक जुलाई 28, 2005 और जी.एस.आर.412 (E) दिनांक जुलाई 10, 2006

कृपया नोट करें:

@ दिसंबर 20, 2006 के हमारे ए.पी.(डी आइ आर सिरीज) परिपत्र 24 द्वारा संशोधित माना जाता है।

दिसंबर 20, 2006 और अप्रैल 30, 2007 के हमारे ए.पी. (डी आइ आर सिरीज) परिपत्रों क्रमशः 24 और 45 द्वारा संशोधित माना जाता है।

S अप्रैल 30, 2007 के हमारे ए.पी. (डी आइ आर सिरीज) परिपत्र सं.46 द्वारा संशोधित माना जाता है।

* अप्रैल 30, 2007 के हमारे ए.पी. (डी आइ आर सिरीज) परिपत्र सं.47 द्वारा संशोधित माना जाता है।

आवश्यक गजट अधिसूचना जारी की जा रही है।

फार्म अ 2
आवेदन-व-घोषणा फार्म
(आवेदक द्वारा भरा जाए)

विदेशी मुद्रा आहरण के लिए आवेदन

I. आवेदक के ब्योरे -

- (क) नाम _____
(ख) पता _____
(ग) खाता सं. _____

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें) _____
2. प्रयोजन _____

III. मैं आपके प्रभार के साथ मेरे बचत खाता/ चालू/ आरएफसी/ ईईएफसी खाता सं.

_____ के नामे डालने के लिए आपको प्राधिकृत करता हूँ और

*क) ड्राफ्ट जारी करें :हिताधिकारी का नाम _____
पता _____

*ख) विदेशी मुद्रा विप्रेषण सीधे भेजें -

- 1.हिताधिकारी का नाम _____
2.बैंक का नाम और पता _____
3.खाता सं. _____

*ग) _____ के लिए ट्रैवलर्स चेक जारी करें

*घ) _____ के लिए विदेशी मुद्रा जारी करें

- (जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर)

घोषणा
(फेमा 1999 के अंतर्गत)

मैं, _____ घोषित करता हूँ कि -

*1) इस कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों के माध्यम से खरीदे गए अथवा भेजे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि इस आवेदन पत्र सहित उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा _____ अमरीकीडॉलर(_____

_____ अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है।

*2) आपसे खरीदी गई विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए है।

- (जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर)

नाम _____

प्रयोजन कूट

केवल कायात्तिय के उपयोग के लिए

ए.डी कोड सं.-----

फार्म सं.-----

करेंसी-----

राशि-----

रुपए के समतुल्य

(प्रधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाए)

प्राधिकृत व्यापारी उचित प्रयोजन कोड के सामने टिक ()लगाएं (संदेह/ कठिनाई में ग्रहक/ भारिबैंक से संपर्क करें)

कूट	प्रयोजन
पूँजी खाता लेनदेन (00)	
एस0001	विदेश में भारतीय निवेश - इक्विटी पूँजी (शेयर) में
एस0002	विदेश में भारतीय निवेश - ऋण प्रतिभूतियों में
एस0003	विदेश में भारतीय निवेश - शाखाओं में
एस0004	विदेश में भारतीय निवेश - अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों में
एस0005	विदेश में भारतीय निवेश - भूमि भवन में
एस0006	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - इक्विटी शेयरों में
एस0007	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - ऋण प्रतिभूतियों में
एस0008	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - भूमि भवन में
एस0009	भारत में विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - इक्विटी शेयरों में
एस0010	भारत में विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - इक्विटी शेयरों में
एस0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण
एस0012	अनिवासियों से प्राप्त ऋण की चुकौती (दीर्घावधि और मध्यावधि ऋण)
एस0013	अनिवासियों से प्राप्त अल्पावधि ऋण की चुकौती
एस0014	अनिवासी जमा राशियों का प्रत्यावर्तन (एफसीएनआरबी/एनआरईआरए, आदि)
एस0015	प्रधिकृत व्यापारी द्वारा अपने ही खाते पर लिए गए ऋण और ऑवरड्राफ्ट की चुकौती
एस0016	किसी और मुद्रा पर बेची गई विदेशी मुद्रा
एस0017	अगोचर आस्तियों जैसे पेट्रो, कॉर्पोराइट, ड्रेड मार्क, आदि की खरीद
एस0018	कहीं और शामिल न किए गए अन्य पूँजी भुगतान
आयात (01)	
एस0101	आयातों पर अग्रिम भुगतान
एस0102	आयातों के लिए भुगतान - बीजक का निपटान
एस0103	राजनयिक मिशनों द्वारा आयात
एस0104	मध्यस्थ व्यापार
एस0190	500,00 रुपये से कम आयात (विदेशी मुद्रा विभाग कायात्तियों द्वारा उपयोग के लिए)
परिवहन (02)	
एस0201	भारत में परिचालन करनेवाली विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा अतिरिक्त भाड़े/ यात्री किराए का भुगतान
एस0202	विदेश में परिचालन करनेवाली भारतीय शिपिंग कंपनियों के परिचालन खर्च का भुगतान
एस0203	आयातों पर मालभाड़ा - शिपिंग कंपनियां
एस0204	निर्यातों पर मालभाड़ा - शिपिंग कंपनियां
एस0205	परिचालनात्मक लीजिंग (कू के साथ) - शिपिंग कंपनियां
एस0206	विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - शिपिंग कंपनियां
एस0207	भारत में परिचालित विदेशी एअरलाइन्स कंपनियों द्वारा अतिरिक्त भाड़े/ यात्री किराए का भुगतान
एस0208	विदेश में परिचालित भारतीय एअरलाइन कंपनियों के परिचालन व्यय
एस0209	आयातों पर मालभाड़ा - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0210	निर्यातों पर मालभाड़ा - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0211	परिचालनात्मक लीजिंग (कू के साथ) - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0212	विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0213	अन्य परिवहन सेवाओं (जहाजी कुली, विलेंब शुल्क, पोर्ट हैंडलिंग चार्जस, इत्यादि) का भुगतान

यात्रा (03)	
एस0301	कारबार यात्रा के लिए विप्रेषण
एस0302	मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के अंतर्गत यात्रा
एस0303	तीर्थयात्रा के लिए यात्रा
एस0304	चिकित्सा के लिए यात्रा
एस0305	शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, हॉस्टल व्यव, आदि सहित)
एस0305	अन्य यात्राएं (अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड)

एस0306	अन्य यात्राएं (अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड)
संचार सेवा (04)	
एस0401	डाक सेवाएं
एस0402	कुरियर सेवाएं
एस0403	ट्रूरसंचार सेवाएं
एस0404	सैटलाइट सेवाएं
विनिर्माण सेवा (05)	
एस0501	परियोजना स्थल पर माल के आयात सहित विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा परियोजनाओं का विनिर्माण
एस0502	विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कार्यान्वयन परियोजनाओं के विनिर्माण आदि के लागत का भुगतान
बीमा सेवा (06)	
एस0601	जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान
एस0602	मालभाड़ा बीमा - वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित
एस0603	अन्य सामान्य बीमा प्रीमियम
एस0604	पुनर्बीमा प्रीमियम
एस0605	सहायक सेवाएं (बीमा कमीशन)
एस0606	दावों का निपटान
वित्तीय सेवाएं (07)	
एस0701	निवेश बैंकिंग के अलावे वित्तीय मध्यस्थता - बैंक प्रभार, वसूली प्रभार, साख पत्र प्रभार, बायदा करार को रद करना, वित्तीय लीजिंग पर कमीशन, आदि
एस0702	निवेश बैंकिंग - दलाल, हामीदारी, कमीशन, आदि
एस0703	सहायक सेवाएं - परिचालन और विनियामक शुल्क, अभिरक्षण सेवाओं, डिपोजिटरी सेवाओं आदि पर प्रभार
कंप्यूटर और सूचना सेवा (08)	
एस0801	हार्डवेअर परामर्श कार्य
एस0802	सॉफ्टवेअर कार्यान्वयन/ परामर्श कार्य
एस0803	डाटाबेस, डाटा प्रोसेसिंग प्रभार
एस0804	कंप्यूटर ऑर सॉफ्टवेअर की मरम्मत और रखरखाव
एस0805	समाचार एजेंसी सेवाएं
एस0806	अन्य सूचना सेवाएं - समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को ग्राहक शुल्क
रायल्टी और लाइसेस फी (09)	
एस0901	विशेष विक्रय अधिकार सेवाएं- पेटेंट, कॉर्पोरेशन, ट्रेड मार्क, इंडिप्रूयल प्रोसेसेज, विशेष विक्रय अधिकार आदि
एस0902	लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से ऑरिजिनल अथवा प्रोटोटाइप उत्पाद (जैसे पांडुलिपि और फिल्म) के उपयोग करने के संबंध में भुगतान
अन्य (10)	
एस1001	वाणिज्यिक सेवाएं - निवल प्राप्तियां
एस1002	व्यापार संबंधी सेवाएं - नियात / आयात पर कमीशन
एस1003	चार्टर हायर सहित ऑपरेटिंग कू के बौद्धर परिचालनात्मक लीजिंग सेवाएं (वित्तीय लीजिंग से इतर)
एस1004	कानूनी सेवाएं
एस1005	लेखा, लेखा परीक्षा, बुक कीपिंग और कर परामर्श सेवाएं
एस1006	व्यापार और प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाएं
एस1007	विज्ञापन, व्यापार मेला, मार्केट रिसर्च और जनमत संग्रह सेवाएं
एस1008	शोध और विकास सेवाएं
एस1009	वास्तुकला, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी सेवाएं
एस1010	कृषि, खनन और ऑन-साइट प्रोसेसिंग सेवाएं - कीड़ा और बीमारियों से सुरक्षा और फसल उत्पादन में वृद्धि, वन उद्योग सेवाएं खनन सेवाएं जैसे अयस्क आदि का विश्लेषण

एस1011	विदेश स्थित कार्यालयों के रखरखाव के लिए भुगतान
एस1012	वितरण सेवाएं
एस1013	पर्यावरण सेवाएं
एस1019	अन्य सेवाएं जो कहीं भी शामिल नहीं हैं

व्यक्तिगत सांस्कृतिक मनोरंजक सेवाएं (11)	
एस1101	दृश्य-श्रव्य और संबंधित सेवाएं - चल चित्रों के निर्माण से संबंधित सेवाएं - चल चित्रों के निर्माण से संबंधित सेवाएं और संबद्ध फोटो, किराया, अभिनेता, निर्माता निर्देशक द्वारा प्राप्त किराया शुल्क तथा वितरण अधिकारों के लिए शुल्क
एस1102	व्यक्तिगत, सांस्कृतिक सेवाएं जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार और खेल-कूद कार्यकलाप; विदेश में पत्राचार पाठ्यक्रम के शुल्क
सरकार - कहीं और शामिल न किया गया (12)	
एस1201	विदेश में भारतीय दूतावासों के रखरखाव
एस1202	विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में विप्रेषण
स्थानांतरण (13)	
एस1301	अनिवासियों की ओर से परिवार रखरखाव और बचत हेतु विप्रेषण
एस1302	व्यक्तिगत उपहार और दान के लिए विप्रेषण
एस1303	विदेश में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को दान के लिए विप्रेषण
एस1304	अन्य सरकारों और सरकारों द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान और दान के लिए विप्रेषण
एस1305	अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सरकार द्वारा अंशदान/ दान
एस1306	कर के भुगतान/ वापसी के लिए विप्रेषण
आय (14)	
एस1401	कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति
एस1402	अनिवासी जमा (एफसीएनआरबी/ एनआरईआरए/ एनआरएनआरडी/ एनआरएसआर, आदि) पर ब्याज के लिए विप्रेषण
एस1403	अनिवासियों द्वारा दिए गए ऋणों (एसटी/ एमटी/ एलटी ऋण)
एस1404	ऋण प्रतिभूतियों - डिबेचर/ बोर्ड/ एफआरएन आदि पर ब्याज के लिए विप्रेषण
एस1405	प्राधिकृत व्यापारियों के अपने खाते पर ब्याज (वॉचो खातेधारियों अथवा नॉचो खाते पर ओवरड्राइट) के लिए विप्रेषण
एस1406	लाभ का प्रत्यावर्तन
एस1407	लाभांश के भुगतान/ प्रत्यावर्तन
अन्य (15)	
एस1501	नियातों के बजह से वापसी/ छट/ बीजक मूल्य पर कटौती
एस1502	गलत प्रविष्टियों का उलटना, गैर-नियर्ति के लिए विप्रेषित किए गए राशि की वापसी
एस1503	अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के लिए निवासियों द्वारा भुगतान
एस1504	नियात बिल की जोखिम परिणति/ को रद्द करना

संलग्नक - ३

(मास्टर परिपत्र का पैरा 13.8)

निवासी व्यक्ति के लिए 200,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत योजना के तहत विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवेदन-व-घोषणा (आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

क. नाम -----
 ख. पता -----
 ग. खाता सं. -----
 घ. पैन सं. -----

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें)
2. प्रयोजन

III. निधियों का स्रोत -----

IV. लिखतों का प्रकार -----

ड्राफ्ट

प्रत्यक्ष विप्रेषण

V. वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 200.. में योजना के तहत किए गए प्रेषण के ब्योरे

तारीख _____ राशि _____

VI. हिताधिकारी के ब्योरे

1. नाम :-----
 2. पता -----
 3. देश -----
 * 4. बैंक का नाम और पता -----

 * 5. खाता सं. -----

(*सिर्फ तभी आवश्यक है जब हिताधिकारी के बैंक खाते में प्रेषण सीधे जमा की जानी है)

यह आपको प्राधिकृत करने के लिए है कि आप मेरे खाते के नाम डाले और विदेशी मुद्रा का प्रेषण करें/ उपर्युक्त ब्योरों के अनुसार ड्राफ्ट जारी करें (जो लागू न हों उसे काट दें)।

घोषणा

मैं..... एतद्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन की
मद सं. V के

(नाम)

अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से अथवा के माध्यम से खरीदी गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि 200,000 अमरीकी डॉलर (दो लाख अमरीकी डॉलर मात्र) के अंदर है जो इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा है तथा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त प्रष्ण के लिए निधियों के स्रोत मेरे हैं और इसका उपयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रेषण अपात्र कंपनियों द्वारा/ को नहीं किया जा रहा है और कि प्रेषण योजना के तहत समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

हस्ताक्षर :

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम

स्थान :

तारीखः स्टाम्प और मोहर

(मास्टर परिपत्र का पैरा अ 20)

आयकर अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत प्रेषण के लिए फार्म और आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता और कारोबार का मुख्य स्थान
2. मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम और पता जिसके क्षेत्राधिकार में प्रेषक है
3. आवेदक का पैन सं.
4. प्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता तथा देश, जहां प्रेषण किया जाता है
5. प्रेषण की राशि और प्रकार
6. स्रोत पर कर कटौती की दर
7. अधिनियम/ डीटीएए के प्रावधान का संदर्भ जिसके तहत दर निर्धारित किया गया है

8. प्रमाणपत्र

- (i) मैं/ हम ऊपर दर्शाए गए स्रोत पर कर कटौती के अनुसार उपर्युक्त प्रेषण करना चाहता हूँ/ चाहते हैं। हमने मेसर्स _____ से जो आयकर अधिनियम की धारा 288 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक लेखाकार है, स्रोत पर कर कटौती की राशि, प्रकार और विशुद्धता को अभिप्राप्ति करनेवाला एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
- (ii) यदि आयकर प्राधिकारी किसी समय यह पाता है कि प्रेषण की राशि पर वास्तव में कटौती योग्य कर का या तो भुगतान नहीं किया गया है या पूरा भुगतान नहीं किया गया है, मैं/ हम देय ब्याज के साथ टैक्स की उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
- (iii) मैं/ हम आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त चूक के लिए दंड के प्रावधानों के अधीन भी होंगे।
- (iv) मैं/ हम उपर्युक्त प्रेषण के हिताधिकारी की आय के प्रकार और राशि के निर्धारण के लिए आयकर अधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज और स्रोत पर कर कटौती के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आयकर अधिनियम के तहत हमारी देयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन

- देता हूँ/ देते हैं।
- (v) उपर्युक्त वी गई सूचना मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कोई भी संबंधित सूचना छिपाई नहीं गई है।
-

नाम और हस्ताक्षर

[प्रेषण करनेवाले व्यक्ति के आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 139(अ) के प्रावधानों के अनुसार) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए]

* * * * *

प्रमाणपत्र

मैंने/ हमने उपर्युक्त प्रेषण की अपेक्षा रखलेवाले मेसर्स (हिताधिकारी) (प्रेषणकर्ता) और मेसर्स (हिताधिकारी) के बीच हुए करार (जहां कहीं लागू हो) और प्रेषण के स्वरूप का पता लगाने एवं धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर निर्धारित करने के लिए संबंधित दस्तावेज और लेखा बहियों की जांच की है। हम एतद्वारा निम्नप्रकार प्रमाणित करते हैं कि :

1. प्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता एवं उस देश का नाम जिसको प्रेषण किया जा रहा है।
2. प्रस्तावित तारीख/ माह और बैंक, जिसके माध्यम से प्रेषण किया जा रहा है, को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा में प्रेषण राशि।
3. स्रोत पर काटे गए करके ब्योरे, दर जिस पर कर कटौती की गई है और कटौती की तारीख।
4. उपर्युक्त (2) के अनुसार प्रेषण के मामले में क्या देय कर का समग्र योग किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी संणना बताएं।
5. तकनीकी सेवाओं, ब्याज, लाभांश आदि के लिए रॉयलटी फीस हेतु प्रेषण की स्थिति में संबंधित डीटीएए की धारा जिसके तहत प्रेषण को सुरक्षा दी जाती है, के साथ कारण और दर जिस पर डीटीएस को लागू ऐसी धारा के अनुसार कर की कटौती अपेक्षित है।
6. यदि डीटीएए के तहत निर्धारित दर से कम पर कर कटौती की गई है तो उसका कारण।
7. वस्तुओं अथवा सामान (अर्थात् संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, आदि) अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों की आपूर्ति के लिए प्रेषण है तो कृपया बताएं :-

विदेशी भारतीय@
मुद्रा मुद्रा

प्रेषित की जानेवाली राशि
स्रोत पर की गई कर कटौती
प्रेषित वास्तविक राशि दर
जिस पर कटौती की गई
कटौती की तारीख

(i) क्या भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है

जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण का, हिताधिकारी वस्तुओं अथवा सामान की आपूर्ति जैसे क्रियाकलाप करता है?

(ii) क्या ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान को ऐसे प्रेषण दिए जा

सकते हैं अथवा उससे संबंधित किए जा सकते हैं?

(iii) यदि हाँ तो, ऐसे प्रेषणों में शामिल आय

की राशि कर के अधीन है।

(iv) यदि नहीं तो, उसके कारण

8. यदि प्रेषण कारोबारी आय के कारण है तो

कृपया दर्शाएं :

(i) क्या ऐसी आय भारत में कर के अधीन है?

(ii) यदि हाँ, कर की कटौती दर की गणना

का आधार

(iii) यदि नहीं तो उसके कारण

9. किन्हीं अन्य कारण से स्रोत पर कर की कटौती

नहीं की जाती है तो उसका कारण बताएं।

(जहाँ कहीं आवश्यक हो विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें)

नाम, पता और पंजीकरण संख्या

(आयकर अधिनियम की धारा 288 में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाए।)

संलग्नक - 5

(मास्टर परिपत्र का पैरा अ 17)

फार्मेट

एक कैलेंडर वर्ष में 100,000 अमरीकी डालर से अधिक की राशि के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के उपयोग के ब्योरे दशनिवाला विवरण- दिसंबर 31-----की स्थिति के अनुसार

बैंक का नाम:

खाताधारक का नाम	राशि (अमरीकी डालर में)	टिप्पणी
	नकदी में व्यापारिक आहरण प्रतिष्ठानों में उपयोग	

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम:

तारीखः

सीलः

संलग्नक - 6

रिज़र्व बैंक प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियां

क्रम सं.	वर्णन	आवधिकता	संदर्भ सं.
1.	एक कैलेंडर वर्ष में 100,000 अमरीकी डालर से अधिक की राशि के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के उपयोग के ब्योरे दर्शनेवाला विवरण	वार्षिक (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)	जून 14,2005 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.46
2	निवासी व्यक्ति के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना	मासिक	अप्रैल 4,2008 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.36

संलग्नक-7

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश भारत से विविध प्रेषणों के संबंध में मास्टर परिपत्र-निवासियों के लिए सुविधाएं

1. सामान्य	<p>प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी अधिनियम/विनियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।</p> <p>विभिन्न लेनदेनों, विशेषकर चालू खाते के लिए प्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सत्यापित किए जानेवाले दस्तावेजों का निर्धारण रिज़र्व नहीं करेगा।</p> <p>अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने के पहले, प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति (आवेदक), जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, से एक घोषणा और अन्य ऐसी सूचनाएं प्राप्त करें जो उसे संतुष्ट करेगा कि लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों अथवा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा अधिनियम के तहत जारी निदेशों अथवा आदेशों</p>
------------	---

का उल्लंघन अथवा अपवंचन नहीं करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन करने से पूर्व आवेदक से प्राप्त सूचनाएं/दस्तावेजों को रिजर्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सुरक्षित रखे।

जहां व्यक्ति,जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है,प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने से इंकार करता है अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं करता है तो,उसे लिखित रूप में लेनदेन से इंकार किया जाएगा। जहां प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि लेनदेन में अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन अथवा अपवंचन के इरादे से उसने इंकार किया है तो ,वह रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दे।

समान पद्धति बनाए रखने की दृष्टि से,प्राधिकृत व्यापारी अपनी शाखाओं द्वारा प्राप्त किए जानेवाले मांग और दस्तावेजों का विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

विदेशी मुद्रा अधिनियम (चालू खाता लेनदेन)नियमावली,2000 के नियम 3 के अनुसार, उसकी अनुसूची I में शामिल लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

नियमावली की अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं बशर्ते आवेदक ने लेनदेन के लिए भारत सरकार, के मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है।

अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के मामले में, जहां आवेदित राशि अनुसूची में दर्शाए गए अथवा अनुसूची III में शामिल अन्य लेनदेनों ,जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, से अधिक है, तो रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।फिर भी निवासी व्यक्ति को योजना की शर्तों के अनुपालन अधीन प्रेषण की अतिरिक्त राशि के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना का लाभ उठाने का विकल्प है।

सभी अन्य चालू लेनदेनों ,जो नियमावली के तहत विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं अथवा जो अनुसूची Iअथवा अनुसूची II में शामिल नहीं हैं,के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर प्राधिकृत व्यापारी ,बगैर किसी मौद्रिक/प्रतिशत सीमाओं के प्रेषण की अनुमति दे सकता प्रेषण के लिए प्राधिकृत व्यापारी अनुमति दे सकता है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अक्तूबर 9, 2002 के उनके परिपत्रसं.10/2002 में निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को प्रेषण की अनुमति देगा (नवंबर 26, 2002 का हमारा ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.56 देखें)।

2. स्वतः घोषणा के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी करना	प्राधिकृत व्यापारी किसी प्रकार के सहायक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर जोर दिए बगैर , किंतु लेनदेनों के मूल ब्योरों और फार्म अ2 में आवेदन की प्रस्तुति को शामिल करते हुए (i) विदेश में नौकरी,(ii) इमीग्रेशन (iii),विदेश में रहनेवाले निकट संबंधियों के जीवन-निर्वाह ,(iv)विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, और (v) विदेश में चिकित्सा कराने के लिए 100,000 अमरीकी डालर के प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान आवेदक द्वारा चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा उसके खाते के नामे डालकर किया जाता है। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के एक या एक से अधिक निजी दौरों के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर तक अथवा इसके समकक्ष राशि जारी किए जाने की वर्तमान सुविधा स्वःघोषणा के आधार पर जारी रहेगी
3. कम मूल्य वाले प्रेषण	प्राधिकृत व्यापारी सभी अनुमत चालू खाता लेनदेनों के लिए अधिकतम 5,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी संलग्नक -2 में दर्शाए अनुसार सरलीकृत आवेदन-व-घोषणा फार्म (फार्म अ 2) प्राप्त करें।
4. उदारीकृत प्रेषण योजना	<p>किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेनों अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए निवासी व्यक्तियों को इस योजना के तहत प्रेषण की अनुमति है। योजना के तहत सुविधा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली , 2000 की अनुसूची III में शामिल सुविधा के अलावा है। योजना के तहत उपहार और दान के प्रेषणों को शामिल किया गया है।</p> <p>योजना के तहत, निवासी व्यक्ति रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत के बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर(सूचीबद्ध अथवा अन्यथा) अथवा ऋण लिखतें अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है अथवा रख सकता है। वे भारत के बाहर बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोल, रख और धारित भी कर सकते हैं। फिर भी , योजना के तहत, समुद्रपारीय मंडियों/समुद्रपारीय प्रतिपक्षों को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए भारत से प्रेषण की अनुमति नहीं है।</p> <p>व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को नामित करना होगा जिसके माध्यम से योजना के तहत सभी प्रेषण किए जाएंगे।</p> <p>निवासी व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराते समय प्राधिकृत व्यापारियों को यह</p>

सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खातों के संबंध में, "अपने ग्राहकों को जानिए" मार्गदर्शी सिद्धांतों को क्रियान्वित किया जाता है। इस सुविधा की अनुमति देते समय प्रचलित धनशोधन निवारक नियमों का भी अनुपालन किया जाए।

प्रेषण के पूर्व आवेदकों का कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पास बैंक खाता होना चाहिए। प्रेषण की इच्छा रखनेवाला आवेदक यदि बैंक का नया ग्राहक है तो, प्राधिकृत व्यापारी खाता खोलते, परिचालित करते और रखते समय समुचित सावधानी बरते। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी निधियों के स्रोत के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आवेदक से पिछले वर्ष का बैंक विवरण प्राप्त करे। यदि ऐसा बैंक विवरण उपलब्ध न हो तो, अद्यतन आयकर निर्धारण आदेश अथवा आवेदक द्वारा दाखिल रिट्टन प्राप्त किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि भुगतान प्रेषण की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति की निधियों में से, आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक अथवा उसके खाते नामे डालकर अथवा डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर प्राप्त किया जाता है। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना के तहत प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक, निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध न कराए।

प्रेषणों को सामान्य अवधि में आर-विवरणी में रिपोर्ट किया जाएगा। योजना के तहत किए गए 5000 अमरीकी डालर से अधिक के प्रेषणों का प्राधिकृत व्यापारी छँझ फार्म अ2 तैयार करे और उसे रिकार्ड में भी रखें। प्राधिकृत व्यापारी **मासिक आधार** पर भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्र विभाग (ईपीडी), केंद्रीय कार्यालय को योजना के तहत आवेदकों की संख्या और प्रेषित कुल राशि की सूचना प्रस्तुत करेगा।

संलग्नक-8

(मास्टर परिपत्र का पैरा अ 13.9)

[अप्रैल 4, 2008 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.36]

फार्मेट

-----माह को समाप्त अवधि के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत निवासी व्यक्तियों
द्वारा किए गए प्रेषण के ब्योरों को दर्शनिवाला विवरण

बैंक का नाम :

क्रम सं.	प्रेषण का प्रयोजन	आवेदकों की संख्या	अमरीकी डालर में प्रेषित राशि
1.	जमा		
2.	अचल संपत्ति की खरीद		
3.	इक्विटी/ऋण में निवेश		
4.	उपहार		
5	दान		
6.	अन्य		
कुल			

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख : स्टाम्प और सील

परिशिष्ट-1

इस मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची नीचे है ।

भारत से विविध प्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं

http://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ApCircularDisplay.aspx

http://www.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx

क्र.	परिपत्र सं.	तारीख
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	जून 1, 2000
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	अक्टूबर 30, 2000
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	नवंबर 16, 2000
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	नवंबर 13, 2000
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	नवंबर 23, 2000
6.	ईसी.सीओएफएमडी.599/18.08.01/2001-02	जनवरी 21, 2002
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	जून 27, 2002
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	सितंबर 12, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	सितंबर 12, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	नवंबर 1, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	नवंबर 18, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	नवंबर 23, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	नवंबर 25, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56	नवंबर 26, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	दिसंबर 24, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	जनवरी 6, 2003
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	जनवरी 24, 2003
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.103	मई 21, 2003
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3	जुलाई 17, 2003
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7	अगस्त 12, 2003
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	अगस्त 16, 2003
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	नवंबर 13, 2003
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	दिसंबर 23, 2003
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	फरवरी 4, 2004
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	फरवरी 20, 2004

26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	फरवरी 24, 2004
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.77	मार्च 13, 2004
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.86	अप्रैल 17, 2004
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.90	मई 3, 2004
30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	अक्टूबर 25, 2004
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	मार्च 31, 2005
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	जून 14, 2005
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	मार्च 6, 2006
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	नवंबर 17, 2006
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	नवंबर 28, 2006
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	दिसंबर 20, 2006
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	अप्रैल 5, 2007
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	मई 18, 2007
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 9	सितंबर 26, 2007
40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 36	अप्रैल 4, 2008
41.	विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली 2000	मई 3, 2000 (और बाद के संशोधन) (कृपया पृष्ठ 28 देखें)

1. फेमा ,1999 की धारा 5

चालू खाता लेनदेन

कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेच सकता है अथवा उससे आहरित कर सकता है यदि ऐसी बिक्री अथवा आहरण चालू खाता लेनदेन है।

बशर्ते लोक हित में और रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार चालू खाता लेनदेनों के लिए ऐसे यथोचित प्रतिबंध , जैसा कि निर्धारित किया जाए , लगाए। (**मास्टर परिपत्र का पैरा अ 1.1)**

2. एफईएम(सीएटी)नियमावली का नियम 3

विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध-निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध है:-

(क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन ; अथवा (ख)नेपाल और /अथवा भूटान की यात्रा अथवा (ग) नेपाल अथवा भूटान में किसी निवासी व्यक्ति के साथ लेनदेन;बशर्ते भारिबैं द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा अनुबन्ध शर्तों के अधीन, जैसा वह आवश्यक समझे,खंड(ग) के प्रतिबंध में छूट दी जाए। (**मास्टर परिपत्र का पैरा अ 1.4)**

3. फेमा ,1999 की धारा 10 की उप-धारा (5)

किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने से पहले किसी प्राधिकृत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति से ऐसी घोषणा करने को कहे और ऐसी सूचना देने को कहे जो उसे पर्याप्त रूप से संतुष्ट कर सके कि लेनदेन इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम,नियमावली,अधिसूचना,निदेश अथवा आदेश के उल्लंघन अथवा अपवंचन में शामिल नहीं होगा और जहां उपर्युक्त व्यक्ति ऐसी किसी अपेक्षा के अनुपालन से इंकार करता है अथवा उसका केवल असंतोषजनक अनुपालन करता है,तो प्राधिकृत व्यक्ति लेनदेन करने से लिखित रूप में मना करेगा और यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त कोई ऐसा उल्लंघन अथवा अपवंचन करने का इरादा है तो उसकी सूचना रिजर्व बैंक को दी जाए। (**मास्टर परिपत्र का पैरा अ 14.1)**

नोट

- प्राधिकृतव्यापारियों की सुविधा के लिए, भारिबैं को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियों की सूची और परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत क्रमशः संलग्नक -6 और 7 में दिए गए हैं।
- सभी उपयोगकर्ताओं की सूचना के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक नहीं है कि मास्टर परिपत्र सुविस्तृत ही हों और जहां कहीं आवश्यक हो, अधिक सूचना/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र का संदर्भ देखें।